राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : एफ 11 (4) वन / 96 / दिनांक 24.10.2000

यह कि वन विभाग द्वारा राज्य में वन्य जीव एवं प्रबन्ध हेतु वृहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा इस उद्देश्य हेतु अनके वन्य जीव रक्षित क्षेत्र (पी.ए.) अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना क्ष्ज्ञेत्र एवं अभयारण्य बनाये गये हैं इन क्षेत्रों की जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाये जाते हैं जिनका उद्देश्य रक्षित क्षेत्र की जैव विविधता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव में कमी लाना, स्थानीय लोगों को संरक्षण में सहयोग अर्जित करना तथा ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना है। इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन काफी हद तक स्थानीय लोगों की सक्रिय सहभागिता एवं जुड़ाव पर निर्भर है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा पोषित इंडिया इको डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्ष 1996–97 से संचालित की जा रही है। इस परियोजना के संचालन के लिये इको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) गठन हेतु आदेश एफ 11(4) वन / 96 / दिनांक 2–12–97 जारी किया गया था। उक्त परियोजना के अनुभवों एवं गैर संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों की सुरक्षा में स्थानीय निवासियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिनांक 2–12–97 के आदेश में संशोधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक एफ 7(39) वन / 90 दिनांक 17.10.2007 द्वारा साझा वन प्रबन्धन योजना के आदेश जारी किये गये थे। गैर संरक्षित क्षेत्रों में ई.डी.सी. द्वारा ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अनुरूप कार्य करने के प्रावधानों की भी आवश्यकता है ताकि एक ही क्षेत्र में दो भिन्न– भिन्न प्रकार की समितियों के गठन की आवश्यकता नहीं हो तथा वन्यजीव बाहुल्य गैर रक्षित क्षेत्र में ई.डी.सी. भी साझा वन प्रबन्धन योजना को लागू कर सके। अतः पूर्व आदेश दिनांक 2–12–97 में निम्नानुसा संशोधन किया जाता है :–

कि वन्यजीव रक्षित क्षेत्रों (अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों) की सुरक्षा एवं विकास हेतु एवं गैर रक्षित क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं विकास हेतु ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) का गठन किया जावेगा। ऐसी समितियों के सदस्यों के सदस्य इस आदेश में सम्मिलित शर्तों की पालना करने पर पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों के तथा यूजफ्रक्ट शेयरिंग के लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

उक्त समितियों की संरचना, दायित्व, क्रिया–कलाप, कार्य क्षेत्र भूमि के उपयोग से अस्थायी लाभ तथा नियंत्रण उपाय निम्नलिखित अनुसार होंगे :

1. कार्य सम्पादन का माध्यम एवं प्रक्रिया :

1.1 वन्यजीव रक्षित क्षेत्रों (अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों) में सुरक्षा एवं विकास तथा समीपस्थ ग्रामों में पारिस्थतिकी विकास हेतु ईको डवलपमेंट कमेटियों का गठन किया जायेगा। ये कमेटियां उन वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में भी गठित की जा सकेगी जिनमें वन्यजीवों की सुरक्षा एवं विकास आवश्यक है, चाहे वहां रक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र मौजूद हो अथवा नहीं। जिन वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसी समितियां नहीं होगी वहां विभागीय अधिकारी स्वयं अथवा गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ऐसी समितियों के गठन का प्रयास करेंगे।

1.2 ईको डवलपमेंट कमेटियां अपने क्षेत्र के पारिस्थितिकी विकास एवं वन / वन्यजीव सुरक्षा की सूक्ष्म योजना तैयार कर क्रियान्वित करेंगी। यह सूक्ष्म योजना वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों / अन्य तकनीकी अधिकारी / गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधियों एवं ईको डवलपमेंट कमेटी के सदस्यों से वार्ता उपरान्त उनकी आवश्यकताओं का सही आंकलन करते हुए सहभागी सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तैयार की जावेगी। वन्यजीव रक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों पर सम्बन्धित अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बनाये नियमों के अन्तर्गत यूजफ्रक्ट शेयरिंग के प्रावधान रखे जावेंगे। वन क्षेत्रों पर अथवा वन्य जीव रक्षित क्षेत्रों पर उनका कोई स्वामित्व नहीं होगा।

1.3 गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्था ई.डी.सी. एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील होगी। स्वयं सेवी संस्थायें इस कार्य में उत्प्रेरक एवं संयोजक का कार्य करेगी तथा पारिस्थितिकी विकास एवं वन्य जीव प्रबन्धन में निरन्तरता बनाये रखने का प्रयास करेगी। उनकी क्षेत्र से प्राप्त उपज एवं आय में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं होगी।

1.4 इस प्रकार गठित ई.डी.सी. राज्यादेश एफ 7(39) वन / 90 दिनांक 17.10.2007 के अनुरूप गैर रक्षित वन क्षेत्रों में वन सुरक्षा एंव प्रबन्ध का कार्य कर सकेंगी।

2. ईको डवलपमेंट कमेटी का स्वरूप :

2.1 प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) गठित करने का प्रयास किया जावेगा। उक्त ग्राम की सीमा में पड़ने वाले सभी परिवार जो ग्राम के स्थायी निवासी हों तथा जिन्हें ग्राम के प्राकृतिक संसाधन से लाभ प्राप्त करने के अधिकार एवं रियायतें हो, उनको समिति की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

2.2 यथासम्भव एवं राजस्व गांव के लिए एक ई.डी.सी. होगी। किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जलग्रहण क्षेत्र भूमि / उपज पर साझेदारी करवाये जाने वाले विकास में लोगों की सामान्य रूचि जुड़ी होने की स्थिति में एक से अधिक ग्राम के समूह की भी एक ई.डी.सी. गठित की जा सकती है।

2.3 जनजातीय क्षेत्रों के एक राजस्व ग्राम में आने वाले फलां अथवा ढाणी के लिए तथा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में चकवार पृथक–पृथक ई.डी.सी. गठित की जा सकती है। बड़े ग्रामों में भौगोलिक आधार पर एक से अधिक ई.डी.सी. का गठन किया जा सकेगा।

2.4 एक राजस्व ग्राम में रक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता के आधार पर एक से अधिक ई.डी.सी. का गठन भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार एक से अधिक गांवों के निवासियों की रक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता के आधार पर एक ई.डी.सी. का गठन किया जा सकेगा।

2.5 रक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ शहरी क्षेत्रों में रक्षित क्षेत्रों पर निर्भरता के आधार पर कतिपय परिवारों के समूह की ई.डी.सी. का गठन किया जा सकेगा।

2.6 ई.डी.सी. के उपरोक्तानुसार परिस्थितियों के आधार पर गठन का निर्णय सम्बन्धित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

2.7 ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा ई.डी.सी. के गठन एवं उसके सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार का आवश्यक सहयोग दिया जावेगा।

3. ईको डवलपमेंट कमेटी की सदस्यता का गठन :

3.1 जिस ग्राम अथवा ग्रामों के समूह की अथवा फला / चक / ढाणी इत्यादि की ई.डी.सी. बनाई जा रही है, उसकी राजस्व सीमा में पड़ने वाले प्रत्येक परिवार अथवा समूह विशेष के सभी व्यस्क व्यक्ति समिति के सदस्य बनने के पात्र होंगे। वन विभाग का क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त ग्राम/ शहर आता हो सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका तथा / अथवा गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से सदस्यता हेतु पात्र व्यक्तियों की सहमति प्राप्त कर सदस्यों की सूची तैयार करेंगे, जिसमें कम से कम 33 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी। क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र के गैर सरकारी /स्वयं सेवी संस्था के सहयोग हेतु लिखित में उन्हें आमंत्रित करेंगे। क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी सदस्यों की बैठक, जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हों, बुलाकर ई.डी.सी. के गठन के बारे में उनसे सहमति प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात उक्त सूची क्षेत्रीय अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी, सम्बन्धित उप वन संरक्षक को भेजेंगे जो सामान्यतः तीन माह में इसकी समीक्षा कर सही पाये जाने पर ई.डी.सी. के गठन व पंजीकरण के विधिवत आदेश प्रचलित करेंगे अन्यथा अस्वीकार करेंगे। केवल इस प्रकार मान्यता प्राप्त ई.डी.सी. को पारिस्थितिकी विकास परियोजनाओं की गतिविधियों में हिस्सा लेने के योग्य माना जावेगा।

3.2 गठित ई.डी.सी. कालान्तर में सदस्यों के जोड़ने / हटाने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी एवं जोड़े / हटाये गये सदस्यों की सूची सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी के मार्फत सम्बन्धित उप वन संरक्षक को भेजेगी। सम्बन्धित उप वन संरक्षक समय–समय पर भेजे गये ऐसे सदस्यों के बारे में अपने रिकॉर्ड में संशोधन करेंगे।

3.3 उक्तानुसार गठित ई.डी.सी. द्वारा दो वर्ष सफलतापूर्वक कार्य करने पर इसका पंजीकरण संस्था के रूप में करवाया जावेगा।

4. महिलाओं की सलाहकार उप समिति :

4.1 प्रत्येक बनाई गई ई.डी.सी. के अतिरिक्त केवल महिला सदस्यों की एक सलाहकार उप समिति भी क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा ई.डी.सी. के साथ–साथ गठित की जावेगी। इसमें कम से कम 7 महिला सदस्यों का होना आवश्यक होगा। उप समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का चयन करेगी। यह उप समिति विशेषकर महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनके विचार को कार्यकारिणी में प्रस्तुत करेगी। उप समिति की नियमित रूप से बैठक का आयोजन करना सम्बन्धित वनपाल/ वन प्रसार सहायक / वन रक्षक / वन प्रसारक का उत्तरदायित्व होगा। वनपाल/ वन प्रसार सहायक / वन रक्षक / वन प्रसारक जो कि कार्यकारिणी का पदेन सचिव भी है, उप समिति के द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यकारिणी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। कार्यकारिणी उप समिति के प्रस्तावों पर विचार करेंगी।

5. कार्यकारिणी का गठन :

5.1 ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) के कार्य संचालन हेतु 11 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जावेगा। कार्यकारिणी के इन सदस्यों का चयन ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.

डी.सी.) की साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। ई.डी.सी. से सम्बन्धित ऐसे गांव / गांवों का समूह / फला / चक आदि जहां अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का क्रमशः 10 प्रतिशत होगी, वहां इस कार्यकारिणी में ग्यारह में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का एवं एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा। जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का सम्मिलित प्रतिशत कुल आबादी का 15 प्रतिशत या उससे कम होगा वहां एक सदस्य अनुसूचित जन जाति में से लिया जावेगा। कार्यकारिणी में कम से कम तीन महिला सदस्य आवश्यक रूप से होंगे। भूमिहीन व्यक्तियों में से भी कम से कम एक व्यक्ति को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जावेगा। उक्त चुनाव हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

5.2 कार्यकारिणी ग्यारह निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष का चयन करेगी। उक्त तीन पदों में कम से कम एक पद पर महिला का चयन होना आवश्यक होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित पंचायत के सरपंच / पंच / नगरपालिका का वार्ड मेम्बर जो उस क्षेत्र के निवासी हो कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे। उनको वोट देने का अधिकार होगा। क्षेत्र से सम्बन्धित वन विभाग के वनपाल / वन प्रसार सहायक / वनरक्षक/ वन प्रसारक इस समिति के पदेन सचिव होंगे एवं इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। महिला सलाहकार उप समिति की अध्यक्ष भी कार्यकारिणी की पदेन सदस्य होगी एवं उसको वोट देने का अधिकार रहेगा।

5.3 यदि कार्यकारिणी चाहे, तो उसके क्षेत्र के साथ जुड़े किसी भी गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्था से एक व्यक्ति को कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेगी परन्तु ऐसे सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

5.4 एक बार गठित की गई कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। उसके पश्चात ई.डी. सी. की कार्यकारिणी का नये सिरे से गठन किया जावेगा। जिसमें यह प्रयास किया जावेगा कि ई.डी.सी. के कार्यकारिणी में से ही किसी एक योग्य सदस्य को सचिव बनाया जावे। इस आदेश से पूर्व प्रचलित आदेशों के तहत गठित कार्यकारिणी का पुनर्गठन इस आदेश के प्रावधानों के तहत किया जावेगा तथा ऐसी पुनर्गठित कार्यकारिणी के सदस्य को सचिव बनाने की स्थिति में वन विभाग का वनपाल / वन प्रसार सहायक / वनरक्षक / वन प्रसारक कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे अन्यथा पूर्व की भांति वह पदेन सचिव का कार्य करेंगे।

6. कार्य प्रणाली :

6.1 बैठकें :–

6.1.1 ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) की प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी। जिसमें कोरम 40 प्रतिशत सदस्यों का होगा। महिला सदस्यों में से कम से कम 33 प्रतिशत सदस्यों का उपस्थिति होना आवश्यक होगा।

6.1.2 एक तिहाई सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष अथवा सचिव इसके अलावा भी साधारण बैठक बुला सकेंगे।

6.1.3 कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित होंगी, किन्तु आवश्यक होने पर अध्यक्ष / सचिव अधिक बैठकें भी बुला सकेंगे।

कार्यकारिणी की बैठक में कोरम छः निर्वाचित सदस्यों का होगा, जिसमें से कम से कम एक महिला सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है।

6.1.4 कार्यकारिणी की बैठक में महिला सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा।

6.1.5 सदस्य–सचिव द्वारा ई.डी.सी. सम्बन्धी रिकॉर्ड संधारित किया जावेगा, उदाहरणार्थ, ई.डी.सी. के सदस्यों का विवरण, साधारण सभा एवं बैठकों का कार्यवाही विवरण, सूक्ष्म योजनायें, लाभ वितरण आदि।

6.1.6 उपस्थित सदस्यों में से 50 प्रतिशत से ज्यादा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही मान्य होगा।

6.2 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के कार्य :– अध्यक्ष कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त समिति की ओर से इकरारनाम व अन्य दस्तावेजों पर अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत सदस्य ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) के प्रतिनिधियों के रूप में अन्य विभागों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि से सम्पर्क कर सकेंगे।

6.3 सचिव के कार्य :– सचिव वर्ष में दो साधारण बैठक तथा 4 कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होंगे। बैठकों की कार्यवाही संधारित करने एवं अगली बैठक में उसे अनुमोदित कराने का कार्य भी सचिव का होगा। ई.डी.सी. का सामान्य पत्र व्यवहार भी सचित देखेंगे। वो ई.डी.सी. को अपने क्षेत्र में चारागाह व अन्य प्राकृतिक संसाधन के विकास के लिए सूक्ष्म नियोजन में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त सचिव अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी ई.डी.सी. की सहायता करेंगे। महिलाओं की उप समिति की बैठक का आयोजन तथा उनके द्वारा पारित प्रस्तावों का कार्यकारिणी में प्रस्तुतीकरण का दायित्व भी सचिव का ही होगा।

6.4 कोषाध्यक्ष के कार्य :– ई.डी.सी. के वित्तीय लेखों का संधारण करेंगे तथा साधारण सभा में ई.डी.सी. का हिसाब–किताब सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत करेंगे। ई.डी.सी. की राशि के लिए स्थानीय बैंकों अथवा डाकघर में खाता खोलकर राशि उसमें जमा करवायेंगे। इस खाते में से राशि ई.डी.सी. की साधारण सभा के निर्णय अनुसार व्यय की जा सकेगी एवं खाते से राशि निकालने के लिए कोषाध्यक्ष, सचिव एवं अध्यक्ष तीनों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। खाते से राशि निकालने के पूर्व कार्यकारिणी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6.5 सरपंच अथवा पंच शहर के वार्ड मेम्बर के कार्य :– उनका कार्य समिति एवं पंचायत नगरपालिका के मध्य समन्वय स्थापित करना होगा।

7. ईको डवलपमेंट कमेटी (ई.डी.सी.) के दायित्व :–

7.1 कार्यकारिणी कमेटी का निर्वाचन करना।

7.2 सूक्ष्म योजना एवं वार्षिक कार्य योजना बनाना एवं अनुमोदन करना। गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों सम्बन्धी योजना सहभागीदारी तरीके से बनाई जावेगी जिसमें वन विभाग के अधिकारी एवं ई.डी.सी. के सदस्य भाग लेंगे। सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ हेतु आवश्यकता आधारित एवं क्षेत्र विशेष आधारित

कार्यक्रमों का चयन किया जावेगा। चयन की गई प्रत्येक पारिस्थितिकी विकास गतिविधि का परोक्ष अथवा अपरोक्ष रिश्ता जैव विविधता संरक्षण से होना अनिवार्य है तथा ऐसे रिश्ते का विवरण सूक्ष्म योजना में चयनित प्रत्येक गतिविधि के लिए दिया जाना आवश्यक होगा। सूक्ष्म योजना वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं ई.डी.सी. की ओर से अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

7.3 वार्षिक बजट एवं व्यय लेखा का अनुमोदन।

7.4 सूक्ष्म योजनाओं का क्रियान्वयन (प्रत्येक समझौते एवं निर्दिष्ट योगदान में नियत जिम्मेदारियों को सम्मिलित करते हुए)

7.5 क्षेत्रीय वन अधिकारी / उप वन संरक्षक के साथ परस्पर समझौता (मेमो ऑफ अंडरस्टेंडिग – एम.ओ.यू.) के रूप में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करना।

7.6 पारिस्थितिकी विकास गतिविधि मय जैव विविधता संरक्षण कार्यों को सुगम बनाना।

7.7 ई.डी.सी. के सदस्यों के माध्यम से तथा वन विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से रक्षित वनों एवं वन्य जीवों तथा रक्षित क्षेत्र से बाहर निकल जाने वाले वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

7.8 रक्षित क्षेत्र के वनों एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश / निगमन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सूचना वन विभाग के कर्मचारियेां को देना।

7.9 यह सुनिश्चित करना कि किसी सदस्य द्वारा पारिस्थितिकी विकास हेतु सरकार द्वारा दी गई राशि का और भूमि के उपयोग से अर्जित लाभों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न किया जावे।

7.10 वन भूमि जिसकी सुरक्षा तथा/ अथवा वृक्षारोपण कर विकास करने की सुविधा ई.डी.सी. को उपलब्ध कराई गई है, के लिए ई.डी.सी. उस क्षेत्र के सभी सदस्यों एवं तकनीकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में चारा विकास, लघु वन उपज एवं वृक्षारोपण करने का पारिस्थितिकी अनुसार कार्य करेगी, जिससे कि सदस्यों की चारा, ईंधन व अन्य उपज की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

7.11 ई.डी.सी. वन क्षेत्र तथा/अथवा वृक्षारोपण से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज जैसे घास, पत्ते, फूल, छोटी टहनियों आदि के एकत्रीकरण एवं वितरण के सम्बन्ध में प्रबन्ध योजना के अनुसार नियम एवं प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारित कर सकेगी। जिससे कि क्षेत्र से निरन्तर वन उपज एवं आय प्राप्त होती रहे।

7.12 ई.डी.सी. उसके क्षेत्र में पड़ने वाले वन क्षेत्रों एवं वन्ये जीवों की अपने सदस्यों के माध्यम से सुरक्षा करना सुनिश्चित करेगी तथा क्षेत्र में अतिक्रमण, अवैध चराई, छंगाई, वृक्ष कटान, चोरी, अवैध खनन, वन उपज की अवैध निकासी, शिकार, आग की रोकथाम तथा अन्य किसी नुकसान रोकथाम की प्रभावी व्यवस्था करेगी तथा वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को भी सूचित करेगी।

7.13 ई.डी.सी. एवं उसके सदस्य वन / वृक्षारोपण क्षेत्र में अवैधानिक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर / पकड़वाकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने में वन अधिकारियों को सहायता करेगी। ऐसा कोई भी कृत्य जो राजस्थान वन अधिनियम, 1953, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं उसके अधीन बने नियमों के तहत वर्जित है, उसे होने से रोकेगी।

7.14 ई.डी.सी. के किसी सदस्य की वन क्षेत्र / वन्य जीव / वृक्षारोपण विरोधी गतिविधि से सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को अवगत कराने का दायित्व ई.डी.सी. के सदस्यों / कार्यकारिणी का होगा। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उसके किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है। दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में कार्यकारिणी ऐसे सदस्य / सदस्यों को समिति की आम राय से आर्थिक रूप से दण्डित करने की प्रक्रिया निर्धारित कर कार्यवाही कर सकती है। प्राप्त राशि समिति के खाते जमा की जावेगी। निरन्तर दुरूपयोग पाये जाने पर ऐसे सदस्य / सदस्यों को कार्यकारिणी द्वारा बहुमत के निर्णय अनुसार निष्कासित कर सकेगी।

7.15 ई.डी.सी. प्राप्त आय को पारिस्थितिकी विकास योजना पर व्यय करेगी।

8. वन विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के दायित्व :

8.1 जिले में मण्डल अधिकारी / उप वन संरक्षक उनके क्षेत्राधिकार में ईको डवलपमेंट समितियों का गठन करेंगे तथा प्रत्येक ई.डी.सी. के लिए वनपाल / वन रक्षक को मनोनीत करेंगे, जो प्रारम्भ में समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

8.2 वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी ईको डवलपमेंट समितियों के सदस्यों को नर्सरी में पौध तैयारी, वृक्षारोपण, वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध, वन्य जीव सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, लेखों का संधारण, कौशल बुद्धि आदि पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण देंगे।

8.3 वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी वन सुरक्षा के उपाय, वृक्षारोपण स्थल का चयन करने एवं सूक्ष्म नियोजन करने में ई.डी.सी. को सक्रिय सहयोग देंगे।

8.4 ईको डवलपमेंट समितियों के सदस्यों के द्वारा वन क्षेत्र / वृक्षारोपण में नुकसान होने की सम्भावना की सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित वनाधिकारी तत्काल नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायेंगे।

8.5 क्षेत्र में कल्चरल ऑपरेशन, विदोहन आदि विभाग की देखरेख में करायेंगे।

8.6 सम्बन्धित उप वन संरक्षक ई.डी.सी. की पारिस्थतिकी विकास की सूक्ष्म योजना तैयार करवा कर स्वीकृत करेंगे। समिति को प्राप्त आय को पुनः उसी अथवा नई भूमि पर वृक्षारोपण करने तथा/ अथवा वन / वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा एवं संधारण करने की कार्य में लेने तथा अन्य पारिस्थतिकी विकास कार्यों पर व्यय करने की योजना तैयार करा कर सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

8.7 ईको डवलपमेंट समितियों को वन विभाग वन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु निर्धारित राशि आवंटित कर सकता है, परन्तु ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा पृथक से पशुरक्षक नहीं रखे जावेंगे। इस राशि को ई.डी.सी. ग्राम विकास कार्यों पर भी व्यय कर सकेगी।

8.8 अधिक से अधिक ईको डवलपमेंट कमेटियों को जनता वन योजना के माध्यम से वृक्षारोपण कराने हेतु प्रेरित करेंगे। इस योजना के तहत ई.डी.सी. द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए ई.डी.सी. को ठेकेदार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

8.9 सम्बन्धित उप वन संरक्षक रक्षित क्षेत्रों की वार्षिक योजना के कार्यों को ईको डवलपमेंट कमेटियों से सम्पादित करवाने के लिए प्रत्येक वर्ष कार्य योजना तैयार करेंगे एवं ईको डवलपमेंट कमेटियों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ` माध्यम से रक्षित क्षेत्रों में विकास कार्य सम्पादित करवायेंगे ताकि ग्रामों में रोजगार के अवसर बढ़ें। इस प्रकार ई.

डी.सी. द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों के लिए ई.डी.सी. को ठेकेदार की श्रेणी में नहीं माना जावेगा।

8.10 वन विभाग के अधिकारी / कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवादों में मध्यस्थता कर विवादों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

9. गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्थाओं के दायित्व :

9.1 गैर सरकारी/स्वयं सेवी संस्था वन विभाग व ई.डी.सी. के बीच समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्रियाशील एवं उत्तरदायी होगी।

9.2 गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्था ई.डी.सी. के गठन में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

9.3 सूक्ष्म नियोजन कार्य में तथा प्रबन्ध योजना की तैयारी में सहयोग देंगे।

9.4 वन विभाग के विभिन्न नीति नियमों के बारे में आम जनता को जानकारी देंगे।

9.5 वन उपज के बंटवारे में यदि जनता के बीच विवाद उत्पन्न होता है, इस प्रकार के विवादों मध्यस्थता कर विवाद को सुलझाने में वे सक्रिय भूमिका निभायेंगे।

9.6 ग्रामीणों से निरन्तर सम्पर्क रखकर उनकी कठिनाइयों के बारे में वन विभाग को संसूचित करेंगे।

10. क्रियान्वयन हेतु प्रणाली :

10.1 सम्बन्धित ई.डी.सी. द्वारा सूक्ष्म योजना में प्रस्तावित पारिस्थितिकी विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जावेगा। किये गये कार्य केलिए ई.डी.सी. को भुगतान बी.एस.आर. की दर से किया जायेगा, किन्तु इसमें से परियोजना में निर्दिष्ट अनुसार ई.डी.सी. के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले योगदान, जो कि नकद/ अन्य किसी रूप में / श्रम के रूप में होगा, की कटौती कर ली जावेगी। ई.डी.सी. के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला योगदान पारिस्थितिकी विकास योजना के अनुरूप होगा। इंडिया ईको डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सूक्ष्म योजना की 25 प्रतिशत लागत का वहन ई.डी.सी. के सदस्यों द्वारा किया जावेगा। योगदान का स्पष्ट विवरण सूक्ष्म योजना में अंकित किया जावेगा। ई.डी.सी. को किये जाने वाले भुगतान की राशि तथा ई.डी.सी. द्वारा दिये जाने वाले नकद योगदान की राशि ई.डी.सी. के खाते में जमा करवाई जायेगी। किसी भी ई.डी.सी. को उसक वर्ष में दिये जाने वाले कुल सम्भावित चुकारे का अधिकतम 15 प्रतिशत अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया जा सकेगा। ऐसे अग्रिम का समायोजन कार्यों के रनिंग बिल्स के विरुद्ध किया जायेगा। यदि कोई ई.डी.सी0 कार्य का सम्पादन संतोषजनक रूप से नहीं करती है अथवा कार्य करने की रुचि नहीं रखती है, तो ऐसे प्रकरणों में कार्य विभागीय तौर पर क्रियान्वित किये जावेंगे।

10.2 वानिकी विकास कार्यों में वन विभाग में तकनीकी मार्गदर्शन में कार्यकारिणी समिति अन्य तकनीकी अधिकारी / स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से विचार–विमर्श कर सूक्ष्म नियोजन के आधार पर तथा साझा वन प्रबन्ध अति–आच्छादी प्रबन्ध वृत्त के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जावेगा तथा जिन कार्य योजनाओं में वर्तमान में साझा वन प्रबन्ध अति–आच्छादी वृत्त का प्रावधान नहीं है, के उपचार एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जावेगा। ठोस वन संवर्द्धन विधि, जल एवं मृदा संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण आदि तैयार की गई प्रबन्ध योजना के अभिन्न अंग होंगे। इस योजना की तैयारी

के समय विभिन्न ग्रामीण समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से विचार– विमर्श करना अनिवार्य होगा।

10.3 विभिन्न वन उपज के विभाजन एवं आय के उपयोग के बारे में इस आदेश में दी गई व्यवस्था के आधार पर प्रबन्ध योजना में स्पष्ट प्रावधान रहेंगे।

10.4 सुरक्षा अथवा/ तथा विकास हेतु उपलब्ध कराई गई वन भूमि के सम्बन्ध में समिति एवं सम्बन्धित उप वन संरक्षक के मध्य एक करार किया जावेगा जो कि सूक्ष्म योजना (माइक्रोप्लान) का अभिन्न अंग होगा।

11. लेखा :

11.1 ई.डी.सी. के सदस्यों द्वारा जमा राशि तथा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि को जमा करने हेतु ई.डी.सी. का बैंक / पोस्ट ऑफिस में संयुक्त खाता होगा। उक्त खाते का संचालन ई. डी.सी. के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा। इस खाते में राशि आहरण एवं जमा का लेखा प्रत्येक साधारण सभा (जी.बी.एम.) की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

11.2 ई.डी.सी. के लेखा खातों का नियमित रूप से क्षेत्रीय द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार सहायक वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण आवश्यक होगा।

12. लाभ में साझेदारी :

प्रत्येक वर्ष उप वन संरक्षक द्वारा ई.डी.सी. के कार्य–कलापों की समीक्षा की जावेगी तथा उनके संतुष्ट होने पर कि उपयुक्त ई.डी.सी. द्वारा सूक्ष्म योजना के सभी पहलुओं की क्रियान्विति, गतिविधि, दायित्वों का निर्वहन जिसमें कि रक्षित क्षेत्र में अवैध चराई, वृक्ष कटान, अग्नि, अवैध खनन, अतिक्रमण से सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित है, का निर्वहन संतोषजनक तरीके से किया गया है, वह ई.डी.सी. को संतोषप्रद कार्य प्रमाणपत्र जारी करेगा। संतोषप्रद कार्य प्रमाणपत्र होने पर ई.डी.सी. को निम्नलिखित लाभ देय होंगे :

(अ) वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) से :

1. राज्य सरकार द्वारा संतुष्ट होने पर कि रक्षित क्षेत्रों, वन्यजीवों के प्रबन्ध एवं सुधार की दृष्टि से उचित होगा कि चिन्हित क्षेत्रों में कुछ उत्पादक उदाहरणार्थ घास, सूखी, गिरी पड़ी लकड़ी, ढांक की पत्तियां एवं अन्य एन.टी.एफ.पी. का एकत्रीकरण, निकास एवं वितरण की स्वीकृति दी जावे तो स्वीकृति उन ई.डी.सी. के सदस्यों को दी जा सकती है, जो कि ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसे वन उत्पाद के एकत्रीकरण एवं निकास करने का व्यय ई.डी.सी. द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार का यूजफ्रक्ट शेयरिंग समय–समय पर वन्य जीव प्रबन्ध की आवश्यकताओं के दृष्टि से क्षेत्र निदेशक/ उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रतिबंध / अनुपात एवं समय सारिणी के अनुसार होगा। इस प्रकार वन उत्पाद की निकासी के लिये ई.डी.सी. द्वारा शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो कि ई.डी.सी. की आय के रूप में जमा किया जावेगा एवं इसका उपयोग पारिस्थितिकी विकास हेतु किया जावेगा।
2. ये लाभ पारिस्थितिकी विकास कार्य–कलापों के तहत अस्थाई लाभ के रूप में उपलब्ध होंगे एवं इनके कारण ग्रामवासियों / ई.डी.सी. के सदस्यों को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. ई.डी.सी. सूक्ष्म नियोजन के समय रक्षित क्षेत्र से वन उत्पाद की योजना वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सलाह पर तैयार करेगी एवं इसे सूक्ष्म योजना में शामिल करेगी। उप वन संरक्षक द्वारा वन उत्पाद के उपयोग की योजना राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जावेगी।

(ब) गैर वन क्षेत्रों से :
सूक्ष्म योजनाओं के अनुसार ई.डी.सी. द्वारा करवाये गये वानिकी विकास कार्यों से लाभ बंटवारा जे.एफ.एम. के राज्यादेश एफ 7 (23) वन / 90 दिनांक 26.4.91 के अनुसार रहेगा। गैर वन क्षेत्रों में शेष कार्यों के लाभ के बंटवारे के नियम ई.डी.सी. द्वारा स्वयं तैयार कर लागू किये जावेंगे बशर्ते वे प्रचलित कानूनों के अनुरूप हों।

(स) संरक्षित क्षेत्र (पी.ए.) के बाहर पड़ने वाले वन क्षेत्र से :
सूक्ष्म योजनाओं के अनुसार ई.डी.सी. द्वारा करवाये गये पारिस्थितिकी विकास कार्यों / वानिकी कार्यों से लाभ का बंटवारा साझा वन प्रबन्ध के राज्यादेश संख्या एफ 7 (39) वन / 90 दिनांक 17.10.2000 के अनुसार रहेगा।

13. लागत में भागीदारी :

13.1 प्रत्येक पारिस्थितिकी विकास कार्य के लिए ई.डी.सी. के सदस्य परियोजना में निर्धारित अनुपात में कुल लागत का अंश नकद / मजदूरी / भौतिक संसाधन के रूप में वहन करेंगे। सूक्ष्म योजना में इस सहमत लागत भागीदारी को अंकित किया जायेगा। संरक्षित क्षेत्र (पी.ए.) को अवैध चराई, अग्नि, चोरी, खनन, इत्यादि से ई.डी.सी. के सदस्यों द्वारा दी गई सुरक्षा को ई.डी.सी. की सहभागिता एवं योगदान माना जायेगा। उप वन संरक्षक तब तक पारिस्थितिकी विकास के लिए राशि रिलीज नहीं करेगा जब तक कि उसे यह संतुष्टि नहीं हो जाये कि ई.डी.सी. के द्वारा अपेक्षित योगदान दिया जा चुका है।

14. आय विभाजन एवं उपयोग :

14.1 किसी भी आय का उपयोग ईको डवलपमेंट कमेटी के अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकेगा। आय के उपयोग की योजना की स्वीकृति उप वन संरक्षक द्वारा की जावेगी।

14.2 अन्तिम विदोहन से प्राप्त आय के अलावा समय–समय पर प्राप्त अन्य आय में से ई.डी.सी. द्वारा प्राथमिकता पर वन / वृक्षारोपण क्षेत्र के सुरक्षा/संधारण / विकास हेतु व्यय किया जावेगा एवं उनकी राय अनुसार अन्य उपयोग में भी लिया जा सकेगा।

14.3 वन भूमि पर वृक्षारोपण : गैर रक्षित वन क्षेत्रों में वन भूमि पर वृक्षारोपण से आय का विभाजन एवं उपयोग राज्यादेश एफ 7 (39) वन / 90 दिनांक 17.10.2000 के अनुसार किया जा सकेगा।

14.4 यह प्रयास किया जायेगा कि ई.डी.सी. के खाते में आय के रूप में या अन्य प्रकार से जमा राशि का उपयोग रिवोल्विंग फण्ड के रूप में किया जावे।

14.5 समय–समय पर प्राप्त आय को ई.डी.सी. के खाते में जमा किया जावेगा। उसका रिकॉर्ड वर्ष प्रतिवर्ष संधारित किया जावेगा व उसका निरीक्षण सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी एवं वन विभाग के उच्च अधिकारी कर सकेंगे।

15. ई.डी.सी. द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य नहीं करने पर कार्यवाही एवं मतभेदों का समाधान :

15.1 क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ईको डवलपमेंट कमेटी को राज्य सरकार से एक अनुबन्ध करना होगा। इस आदेशे में ऊपर वर्णित सामान्य शर्तों तथा अनुबन्ध की विशिष्ठ शर्तों का किसी सदस्य द्वारा उल्लंघन करना पाया जाने की स्थिति में समिति ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर वन विभाग के सम्बन्धित उप वन संरक्षक को सूचित करेगी।

15.2 यदि ई.डी.सी. के किसी सदस्य को वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम, वन अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण के ठोस सिद्धान्तों, ग्राम अथवा ई.डी.सी. के हितों के विरुद्ध कृत्य करते पाया जाता है तो उप वन संरक्षक द्वारा ऐसे सदस्य की सदस्यता, क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं कार्यकारिणी की सिफारिशों पर विचार करते हुए, समाप्त कर दी जावेगी। उप वन संरक्षक के फैसले की अपील वन संरक्षक के यहां दर्ज होगी जिसका कि फैसला अंतिम होगा।

15.3 ऐसे प्रकरणों में जहां ई.डी.सी. समान्य शर्तों तथा अनुबन्ध की विशिष्ठ शर्तों के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रही हो तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी द्वारा कम से कम दो लिखित नोटिस देने के उपरान्त भी ई.डी.सी. ने अपने कार्य में वांछित सुधार न किया हो तो उप वन संरक्षक कारणों की जांच करायेंगे एवं निराकरण के लिए उचित कदम उठायेंगे। उसके उपरान्त भी शर्तों का उल्लंघन होने पर उप वन संरक्षक उपरोक्त समिति से अनुबन्ध भंग कर देंगे। अनुबन्ध भंग होने के उपरान्त क्षेत्र की प्रबन्ध की व्यवस्था उप वन संरक्षक द्वारा कराई जावेगी। इस प्रकार भंग किये गये अनुबन्ध के सम्बन्ध में ई.डी.सी. सम्बन्धित वन संरक्षक को दो माह के अन्दर अपील कर सकेगी। वन संरक्षक का निर्णय विभागीय अधिकारियों एवं ई.डी.सी. दोनों के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

15.4 ई.डी.सी. के सदस्यों द्व्ज्ञरा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो व्यक्तिगत लाभ की राशि वसूल की जायेगी। इस उल्लंघन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से आम बैठक में खुलासा विचार–विमर्श कर कार्यवाही की जावेगी।

15.5 ई.डी.सी. के सदस्यों के बीच अथवा ग्रामीण जनता के दो या अधिक गुटों के बीच उत्पन्न विवादों का फैसला करने में कार्यकारिणी समिति सक्रिय भूमिका निभायेगी। आवश्यक होने पर गैर सरकारी / स्वयं सेवी संस्था / वन विभाग से भी मदद लेगी।

15.6 दो समिति या पंचायत समिति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी / वन प्रसार अधिकारी विवादों का फैसला करेंगे। सभी निर्णयों के विरुद्ध अपील सम्बन्धित उप वन संरक्षक को की जावेगी।

यह आदेश वित्त (व्यय – 1) विभाग की सहमति उनकी आई.डी. सं. 2339 दिनांक 11.7.2002 के क्रम में जारी किया जाता है।

आज्ञा से

(ए.के.गर्ग)
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर